न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 18 / 2024

1 किरणा देवी उम्र 52 साल पत्नी सुरेश उर्फ देवीलाल
2 गगनदीप भार्गव पुत्र सुरेश उर्फ देवीलाल
3 विद्याधर पुत्र भागला उर्फ भागु
4 सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश
5 संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश
6 सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश
7 सन्जूदेवी पत्नी दिनेश कुमार समस्त निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
8 श्याम उम्र अव्यस्क 12 साल पुत्र
9 डिम्पल उम्र अव्यस्क 14 पुत्री
10 मन्नू उम्र अव्यस्क 10 साल पुत्र दिनेश कुमार जरिये माता सन्जुदेवी पत्नी दिनेश कुमार निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
11 सुन्दर पुत्र शिशपाल
12 बनवारी पुत्र बजरंग
13 प्रेम पुत्र बजरंग
14 दुर्गीदेवी पत्नी मोहनलाल
15 घीसाराम पुत्र मोहनलाल
16 महेन्द्र पुत्र मोहनलाल
निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
17 रेखा कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी अशोक कुमार निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
18 सीमा कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी रिकीं निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19 बिमला पुत्री गंगाराम पत्नी गिरधारीलाल निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
20 मीना देवी पुत्री गंगाराम पत्नी महावीर निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
21 सिलोचना पुत्री गंगाराम पत्नी अमोलख निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
22 दीपचन्द पुत्र महावीर
23 श्रवण पुत्र महावीर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

24 सुभाष पुत्र महावीर निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सन्तोष देवी पत्नी इन्द्रजीत पुत्री साधुराम निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। मृतक
2 कमला पत्नी कृष्णकुमार
3 रिकूं पुत्र कृष्णकुमार
4 बाबु पुत्र कृष्ण कुमार
5 पुष्पा पुत्री कृष्ण कुमार निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद शाहजादपुर तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला हरियाणा।
6 राजेश पुत्र सत्यनारायण
7 किरण पत्नी सत्यनारायण निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद शाहजादपुर तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला हरियाणा।
8 राजकुमार
9 रोहिताश कुमार पुत्रगण सुरेश उर्फ देवीलाल निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
10 चित्रा
11 मंजूबाला पुत्रियां सुरेश उर्फ देवीलाल निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
12 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी राकेश आदि बनाम श्रीमती सन्तोष देवी आदि मु.नं. 26/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2023

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

अपील संख्या 19/2024

1 किरणा देवी उम्र 52 साल पत्नी सुरेश उर्फ देवीलाल
2 गगनदीप भार्गव पुत्र सुरेश उर्फ देवीलाल
3 विद्याधर पुत्र भागला उर्फ भागु
4 सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश
5 संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश
6 सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश
7 सन्जूदेवी पत्नी दिनेश कुमार समस्त निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
8 श्याम उम्र अव्यस्क 12 साल पुत्र
9 डिम्पल उम्र अव्यस्क 14 पुत्री
10 मन्नू उम्र अव्यस्क 10 साल पुत्र दिनेश कुमार जरिये माता सन्जुदेवी पत्नी दिनेश कुमार निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
11 सुन्दर पुत्र शिशपाल
12 बनवारी पुत्र बजरंग
13 प्रेम पुत्र बजरंग
14 दुर्गीदेवी पत्नी मोहनलाल
15 घीसाराम पुत्र मोहनलाल
16 महेन्द्र पुत्र मोहनलाल
निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
17 रेखा कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी अशोक कुमार निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
18 सीमा कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी रिकीं निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19 बिमला पुत्री गंगाराम पत्नी गिरधारीलाल निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
20 मीना देवी पुत्री गंगाराम पत्नी महावीर निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
21 सिलोचना पुत्री गंगाराम पत्नी अमोलख निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
22 दीपचन्द पुत्र महावीर
23 श्रवण पुत्र महावीर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी • सीकर •

24 सुभाष पुत्र महावीर निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सन्तोष देवी पत्नी इन्द्रजीत पुत्री साधुराम निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। मृतक
2 कमला पत्नी कृष्णकुमार
3 रिकूं पुत्र कृष्णकुमार
4 बाबु पुत्र कृष्ण कुमार
5 पुष्पा पुत्री कृष्ण कुमार निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद शाहजादपुर तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला हरियाणा।
6 राजेश पुत्र सत्यनारायण
7 किरण पत्नी सत्यनारायण निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद शाहजादपुर तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला हरियाणा।
8 राजकुमार
9 रोहिताश कुमार पुत्रगण सुरेश उर्फ देवीलाल निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
10 चित्रा
11 मंजूबाला पुत्रियां सुरेश उर्फ देवीलाल निवासीगण नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
12 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2023 व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.11.2023 मुकदमा उनवानी राजेश आदि बनाम श्रीमती सन्तोष आदि मु.नं. 26/2019

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रशीद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विकास कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023, 13.12.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 व 7 ने एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 78 जिनके हाल खसरा नम्बर 45, 46, 47, 396/47, 48, 49, 50, 172 वाके ग्राम नांद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजेश व किरण ने एक दावा बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त दावा वाके ग्राम नांद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर गत 21/1 रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा, खसरा नम्बर 20/2 रकबा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 20/3 रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा, खसरा नम्बर 21/1 रकबा 3 बीघा 18 बिश्वा, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 21/3 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 11 बिश्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा .05 हैक्टेयर, खसरा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 47 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396/47 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 1.15 हैक्टेयर बाबत दावा प्रस्तुत किया। दावा के वादीगण राजेश व किरण ने ना तो दावे के प्रतिवादीगण का सही पता दर्ज किया। रेखा, सीमा, मीना, विमला, सिलोचना को ग्राम नांद का निवासी बता रखा है जबकि इनका पता ग्राम नांद नहीं है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष जो नोटिस प्रस्तुत किये उन सब में तामील कुनिन्दा की एक ही रिपोर्ट है तथा गवाह के रूप में भी दो समान व्यक्तियों के हस्ताक्षर है उक्त प्रकरण में दिनांक 03.10.2019 को तामील मानने के पश्चात दिनांक 29.11.2019 को पूर्व की तामील को पर्याप्त नहीं मानते हुये जरिये रजिस्टर्ड तामील करवाने का आदेश दिया जो दिनांक 15.01.2020 को प्रस्तुत हुई तथा दिनांक 03.03.2021 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिनांक 13.12.2023 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त प्रकरण में ना तो रजिस्ट्री की ए.डी. लौटकर आयी है तथा ना ही डिलीवरी की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की तामील पर्याप्त मानने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 की जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील दिनांक 16.11.2022 को तामील मान रखी है जबकि सन्तोष देवी की मृत्यु करीब 5 साल पूर्व हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त है। सुरेश पुत्र भागला उर्फ भागु की मृत्यु दिनांक 22.06.2020 को ही गयी तथा ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 18.03.2022 को हो गयी जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर गलत तामील दिखाकर तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। प्रकरण अपीलार्थीगण की पैत्रिक अचल सम्पति से संबंधित है अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिला जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जानकारी से अन्दर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में राजेश व किरण ने जो सजरा प्रस्तुत कर रखा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

है उसके मुताबिक देशराज को पक्षकार नहीं बनाया जिसको पक्षकार बनाये बिना भी दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1998 राज पेज 301 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 23 की जरिये रजिस्ट्री तामील करवाई गई है। तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधिक प्रकिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर वादीगण की सुनवाई के उपरांत प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए है। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी सुन्दर, बनवारी, दीपचन्द, श्रवण व सुभाष के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा के प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 की जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील दिनांक 16.11.2022 को तामील मान रखी है जबकि सन्तोष देवी की मृत्यु करीब 5 साल पूर्व होना कथित किया गया है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय में वाद 2019 में प्रस्तुत किया गया है। सुरेश पुत्र भागला उर्फ भागु की मृत्यु दिनांक 22.06.2020 को हो गयी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

तथा ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 18.03.2022 को हो गयी जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्तियों के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो प्रथम दृष्टया ही विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में मृत पक्षकारों की सम्यक तामील मानते हुए विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर